16 JAN 2015

Website

झारखण्ड सरकार
उद्योग विभाग

दिनांक 13.01.2015 को सचिव उद्योग द्वारा राज्य योजना एवं केन्द्र प्रायोजित योजना की समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही –

उपस्थिति :– संलग्न सूची के अनुसार।

कार्यवाही :– सर्वप्रथम उप उद्योग निदेशक, बजट द्वारा वर्तमान वित्तीय वर्ष 2014–15 में राज्य योजना एवं केन्द्र प्रायोजित योजनान्तर्गत वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन सचिव उद्योग के अवलोकनार्थ उपस्थापित किया गया जो निम्नवत् है :–

(क) राज्य योजना

कर्णांकित उद्व्यय (लाख रु0 में)	स्वीकृत राशि (लाख रु0 में)	आवंटित राशि (लाख रु0 में)	व्यय (12 जनवरी 2015) (लाख रु0 में)
20000.00	16412.13515	12429.13852	7927.48937

(ख) केन्द्र प्रायोजित योजना

कर्णांकित उद्व्यय (लाख रु0 में)	स्वीकृत राशि (लाख रु0 में)	आवंटित राशि (लाख रु0 में)	व्यय (12 जनवरी 2015) (लाख रु0 में)
7100.00	314.50	314.50	314.50

सचिव उद्योग द्वारा योजनान्तर्गत राशि के व्यय पर सभी योजना प्रभारी पदाधिकारियों को माह जनवरी, 2015 तक कर्णांकित उद्व्यय के विरुद्ध कम से कम 60 प्रतिशत व्यय सुनिश्चित् करने का निदेश दिया गया।

केन्द्र प्रायोजित योजनान्तर्गत राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम में कर्णांकित उदव्यय 10.00 करोड़ के विरुद्ध केन्द्रांश में राशि स्वीकृत नहीं हो सकने पर सचिव उद्योग द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त की गई। इस संबंध में निदेशक रेशम द्वारा बताया गया कि भारत सरकार से राशि विमुक्त नहीं हो पाने के कारण योजना की स्वीकृति नहीं हो सकी है। विभाग द्वारा भारत सरकार को योजना की स्वीकृति का प्रस्ताव भेजा गया है। सचिव उद्योग द्वारा निदेश दिया गया कि भारत सरकार द्वारा पूर्व में विमुक्त की गई राशि का

उपयोगिता प्रमाण–पत्र अविलम्ब भारत सरकार को भेजा जाय। साथ ही भारत सरकार को भेजी गयी योजना का समन्वय संबंधित मंत्रालय के साथ किया जाय ताकि राशि की विमुक्ति ससमय हो सके।

सी0डी0पी0 योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा वर्तमान वित्तीय वर्ष में 497 लाख रु0 की स्वीकृति प्रदान की गयी है। निदेशक रेशम द्वारा बताया गया कि उक्त राशि की विमुक्ति की सूचना अप्राप्त रहने के कारण नई योजनाओं की स्वीकृति नहीं हो पायी है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में राज्यांश अन्तर्गत योजना की स्वीकृति गत वित्तीय वर्ष में भारत सरकार द्वारा विमुक्त की गई राशि के आधार पर की गयी है। इस संबंध में सचिव उद्योग द्वारा निदेश दिया गया कि भारत सरकार के स्तर से पूर्व में विमुक्त की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र अविलम्ब भेजा जाय।

खाद्य प्रसंस्करण योजना अन्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष में भारत सरकार द्वारा 153.18 लाख रु0 की राशि विमुक्त की गई है। निदेशक उद्योग द्वारा बताया गया कि इसके आधार पर योजना की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। दिनांक 21.01.2015 को स्क्रीनिंग कमिटी की बैठक आहूत की गई है जिसमें खाद्य प्रसंस्करण उद्योग से प्राप्त प्रस्तावों की समीक्षा की जाएगी एवं भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्ड के आधार पर पात्र इकाईयों के आवेदन को राज्य स्तरीय समिति अथवा SLEC को अनुशंसित किया जाएगा।

एसाइड योजनान्तर्गत राज्य में कई योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। वर्तमान में भारत सरकार द्वारा 629.00 लाख रु0 की राशि स्वीकृत की गई है एवं 314.50 लाख रु0 की राशि की विमुक्ति की जा चुकी है। इसके आधार पर योजना स्वीकृत की गयी है। इस संबंध में सचिव उद्योग द्वारा निदेश दिया गया कि एसाइड योजना अन्तर्गत पूर्व में ही भारत सरकार द्वारा राशि विमुक्त की गयी है जिसका पूर्ण उपयोग अभी तक नहीं किया गया है जो खेद का विषय है। अतः राशि का पूर्ण उपयोग सुनिश्चित करते हुए पुराने योजनाओं को यथाशीघ्र पूरा किया जाय ताकि नई योजनाओं का कार्यान्वयन हेतु प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा जा सके। एसाइड योजनान्तर्गत export oriented unit को प्राथमिकता देने हेतु बियाडा/रियाडा एवं एसपीयाडा औद्योगिक क्षेत्र में भी आधारभूत संरचना को विकसित किया जाय।

सभी औद्योगिक क्षेत्र में विद्युत आपूर्त्ति की समस्या रहती है। अतः इस योजनान्तर्गत औद्योगिक क्षेत्र में पावर सब स्टेशन की संभावना का अध्ययन करने का निर्देश प्रबन्ध निदेशक, रियाडा एवं प्रबन्ध निदेशक, जिन्फ्रा को दिया गया। राज्य से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एसाइड योजनान्तर्गत ICD का निर्माण जमशेदपुर के अनुरुप अन्य स्थानों पर करने हेतु संभावना का अध्ययन करने का निदेश प्रबन्ध निदेशक, जिन्फ्रा को दिया गया। निदेशक रेशम द्वारा बताया गया कि एसाइड योजनान्तर्गत सिल्क पार्क, राँची का निर्माण अभी तक प्रारंभ नहीं हो पाया है। इस योजना के कार्यान्वयन एजेन्सी जिन्फ्रा के प्रबन्ध निदेशक ने बताया कि सिल्क पार्क, राँची का L.O.I निर्गत किया जाना है तथा ट्रेड कम कनेभेंशन सेंटर, देवघर का शीघ्र ही ई–टेण्डर निकाला जाएगा। इस संबंध में सचिव उद्योग द्वारा त्वरित कार्रवाई का निदेश प्रबन्ध निदेशक, जिन्फ्रा को दिया गया।

रेशम के विकास हेतु संचालित विभिन्न योजना की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा राशि की निकासी आशानुरुप नहीं की जा रही है। जिसके कारण योजना का कार्यान्वयन ठीक ढ़ंग से नहीं हो रहा है। रेशम कीटपालकों को अनुदान तथा अन्य प्रकार की देय सहायता ससमय नहीं मिल पा रहा है। इस संबंध में सचिव उद्योग द्वारा क्षेत्रीय स्तर पर राशि के आवंटन के विरुद्ध व्यय की समीक्षा करने का निदेश निदेशक रेशम को दिया गया।

हस्तकरघा एवं हस्तशिल्प तथा खादी योजना में स्वीकृत राशि के विरुद्ध आवंटन कम रहने के संबंध में उप उद्योग निदेशक (बजट) द्वारा बताया गया कि कतिपय योजनाओं में राशि का आवंटन दो किश्तों में किया जाना है। प्रथम किश्त में आवंटित/निकासी की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र अप्राप्त रहने के कारण द्वितीय किश्त की राशि का आवंटन नहीं दिया गया। इस संबंध में अविलम्ब उपयोगिता प्रमाण–पत्र समर्पित करने का निदेश झारक्राफ्ट/खादी बोर्ड को दिया गया। सचिव उद्योग द्वारा हस्तकरघा, हस्तशिल्प एवं रेशम योजना अन्तर्गत दिए जा रहे प्रशिक्षण कार्यक्रम का निरीक्षण मुख्यालय स्तर के पदाधिकारी से कराने का निदेश निदेशक रेशम को दिया गया।

कौशल विकास योजना में प्रशिक्षण के लक्ष्य को पूरा करने का निदेश सचिव उद्योग द्वारा दिया गया। साथ ही प्रशिक्षित व्यक्तियों का नियोजन हो सके, इसे भी ध्यान में रखा जाय। क्षेत्रीय स्तर पर दिए जा रहे प्रशिक्षण कार्यक्रम का निरीक्षण मुख्यालय स्तर के

पदाधिकारी से समय–समय पर कराया जाय। सी0आई0डी0सी0 द्वारा संचालित रॉची एवं पलामू केन्द्रों का निरीक्षण करने का निदेश निदेशक उद्योग को दिया गया।

औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार योजनान्तर्गत कर्णांकित उदव्यय के विरुद्ध मात्र 167 लाख रु0 की योजना ही स्वीकृत हो पाने पर सचिव उद्योग द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त की गयी एवं निदेश दिया गया कि सभी प्राधिकारों द्वारा शीघ्र ही योजना समर्पित की जाय। प्रस्तावित योजनाओं का डी0पी0आर0 अविलम्ब तैयार किया जाय। साथ ही औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार हेतु भू–अर्जन की योजना तैयार की जाय। इस संबंध में प्रबन्ध निदेशक, रियाडा द्वारा बताया गया कि अनगड़ा में भू–अर्जन का प्रस्ताव है, शीघ्र ही भू–अर्जन एवं आधारभूत संरचना का डी0पी0आर0 तैयार कर समर्पित किया जाएगा।

रियाडा के प्रबंध निदेशक द्वारा बताया गया कि बरही ग्रोथ सेन्टर अन्तर्गत 100 एकड़ की भूमि में से 70 एकड़ मारुति उद्योग को दिया जाना है। शेष 30 एकड़ की भूमि में आधारभूत संरचना के निर्माण हेतु डी0पी0आर0 तैयार करने का निदेश प्रबन्ध निदेशक, रियाडा को दिया गया। बरही ग्रोथ सेन्टर अन्तर्गत रियाडा के अधीन भूमि का डिमार्केशन किया जाय ताकि उसका इन्क्रोचमेंट नहीं हो सके।

उद्योग विभाग द्वारा दिए जानेवाले उद्यमी पुरस्कार के लिए योग्य उद्यमियों का चयन करने का निर्देश दिया गया ताकि बैठक आयोजित कर योग्य उद्यमियों की सूची को अंतिमीकरण किया जा सके।

राज्य औद्योगिक नीति, 2001 अन्तर्गत प्राप्त प्रस्तावों की शीघ्र ही समीक्षा की जाय तथा पात्र औद्योगिक इकाईयों को अनुदान की राशि अविलम्ब वितरित की जाय। पूर्व में दिए गए अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र अविलम्ब महालेखाकार को समर्पित किया जाय।

राज्य औद्योगिक नीति, 2012 अन्तर्गत जिन इकाईयों से अनुदान का दावा प्राप्त हुआ है उसकी समीक्षा की जाय एवं सभी महाप्रबन्धकों एवं प्राधिकारों को निर्देश दिया जाय कि पात्र इकाईयों को देय अनुदानों के प्रस्ताव की अनुशंसा शीघ्र समर्पित करें।

सचिव उद्योग द्वारा वर्तमान वित्तीय वर्ष में कार्यान्वित की जा रही योजनाओं को ससमय पूर्ण करने का निर्देश दिया गया एवं आगामी वित्तीय वर्ष 2015–16 में ली

जानेवाली योजनाओं का आलेख, अनुमानित राशि का प्रस्ताव समर्पित करने का निदेश सभी पदाधिकारियों को दिया जाय।

बैठक सधन्यवाद समाप्त किया गया।

सचिव, उद्योग

ज्ञापांक 55 /रॉची, दिनांक 15/01/2015

02/उ0नि0/ब0(विविध)–622/2014

प्रतिलिपिः– निदेशक रेशम/निदेशक उद्योग /प्रबन्ध निदेशक, सभी औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार/महाप्रबन्धक, जिडको/ प्रबन्ध निदेशक, जिन्फ्रा/सभी उप उद्योग निदेशक, उद्योग एवं हस्तकरघा निदेशालय एवं सचिव उद्योग के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(डी0पी0 विद्यार्थी)
उप उद्योग निदेशक

झारखण्ड सरकार
उद्योग विभाग

दिनांक 13.01.2015 को सचिव उद्योग द्वारा योजना की समीक्षात्मक बैठक में उपस्थिति :–

1– सचिव उद्योग

2– निदेशक उद्योग

3– निदेशक रेशम

4– श्री दिपांकर पण्डा, प्रबन्ध निदेशक, रियाडा

5– श्री शशि शंकर कुमार, प्रबन्ध निदेशक, जिन्फ्रा

6– श्री के0एन0 झा, महाप्रबन्धक, जिडको

7– श्री सुशील कुमार, सचिव, रियाडा

8– उप उद्योग निदेशक (बजट)

9– उप उद्योग निदेशक (लेखा)

10– श्री दिलीप कुमार शर्मा, उप उद्योग निदेशक

Proceeding